

बिहार सरकार,
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू-अर्जन शाखा)
अधिघोषणा

पटना, दिनांक...19...12...13.../

संख्या:-

चूँकि बिहार सरकार को यह प्रतीत होता है कि गाँव धिनहुपट्टी परगना- चैनपुर थाना नं०- 82 थाना -मोहनियां अंचल दुर्गावती जिला-कैमूर(कैमूर)में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात्- सम्पर्क सड़क निर्माण के लिये सरकारी खर्च पर सरकार द्वारा जमीन ली जानी अपेक्षित हैं, इसलिये इसके द्वारा अधिघोषित किया जाता है कि उपर्युक्त प्रयोजनार्थ पूर्वोक्त गाँव- धिनहुपट्टी थाना नं०- 82 के भीतर भूमि का एक टुकड़ा अपेक्षित है, जो मान माप से कमी वेश-0.3037 एकड़ होता है, जिसका सर्वे खेसरा संख्या निम्नांकित है-----

सर्वे खेसरा संख्या :- पूर्ण खेसरा नं० 153, 154, 158, 159, 160, 167, 168, 272, 281, 282, 288, 303, 304 एवं 306 तथा जिसकी चौहद्दी भिन्न प्रकार से है:---

उत्तर:- अंश खेसरा नं०- 168, 167, 160, 159, 158, 272, 281, 282, 288, एवं पूर्ण खेसरा नं०-157, 156, 155

पूरब:- अंश खेसरा नं० 288

दक्षिण:- अंश खेसरा नं० 153, 154, 272, 288, 306, 304 एवं 303

पश्चिम:- मुख्य सड़क (चेहरियां से ककरैत घाट सड़क)

भूमि या भूमि के किसी खास भाग के नीचे पड़नेवाली कोयला,लोहा-पत्थर, स्लेट या अन्य खनिजों की खानों की आवश्यकता नहीं है, किन्तु खानों और खनिजों के केवल वे भाग जिन्हें जिस कार्य के लिये भूमि अर्जित की जा रही है, उसके निर्माण के लिए खोदना, हटाना या उपयोग में लाना आवश्यक हो, तो लिये जायेगे।

यह घोषणा अधिनियम 1,1894 की धारा-6 और अधिनियम, 18,1885 की धारा-3 के खण्ड(1) के उपबन्धों के अधीन उन सभी व्यक्तियों के लिये जारी की जाती है, जिनका इससे सम्बन्ध हो।

भूमि का नक्शा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी के कार्यालय, कैमूर(भभुआ) में देखा जा सकेगा।

जिला भूमि अर्जन पदा०,
अपर समाहर्ता
समाहर्ता

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक...2983/रा०...पटना, दिनांक...19...12...13.../

प्रतिलिपि:-

निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार, पटना को स्थानीय भाषा के दो समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने और प्रकाशित संस्कारण को इस कार्यालय एवं जिला भूमि अर्जन कार्यालय, कैमूर को यथा शीघ्र भेजने हेतु,

2-प्रतिलिपि:-

उप समाहर्ता प्रभारी, सामान्य शाखा, कैमूर (भभुआ)को जिला गजट के अगले साधारण/असाधारण अंक में प्रकाशित कराने और इसकी (10) दस अतिरिक्त प्रतियां इस कार्यालय एवं जिला भूमि अर्जन कार्यालय, कैमूर (भभुआ) को प्रेषित करने हेतु

3-प्रतिलिपि:-

समाहर्ता, , कैमूर (भभुआ) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ।

4-प्रतिलिपि:-

जिला भू-अर्जन पदा०, कैमूर(भभुआ) को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।